न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 86/2019 दायरा दिनांक : 18.10.2019

उनवान

1— तेजू बाई पत्नी श्री मनोहरलाल, उम्र 40 वर्ष, जाति धाकड, निवासी जसवंतपुरा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

2— बरदीबाई पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण, उम्र 50 वर्ष, जाति धाकड, निवासी जसवंतपुरा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— कालूलाल पुत्र श्री हीरालाल, जाति धाकड, निवासी जसवंतपुरा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

2— मनोहर पुत्र श्री हीरालाल, जाति धाकड, निवासी जसवंतपुरा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

3— श्री धारा सिंह पुत्र श्री हीरालाल, जाति धाकड, निवासी जसवंतपुरा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

4— श्रीमती राधाबाई पत्नी श्री हीरालाल, जाति धाकड, निवासी जसवंतपुरा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

5— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पिडावा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बच्चू लाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.01.2021

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी पिडावा. के प्रकरण संख्या – 94/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 ने अपीलांट व रेस्पोडेंट कम 5 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादी को अपना जवाबदावा पेश किये बगैर ही रेस्पोडेंट वादीगण का वाद डिक्री कर दिया इस निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री व निर्णय अपीलांट को अपना जवाबदावा पेश करने का अवसर दिये बगैर ही पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की शामलाती आराजी है । संयुक्त खाते की आराजी खसरा नम्बर 129 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा पारिवारिक मौखिक समझौते से श्री भोनीलाल (भवानीलाल) के हिस्से में आयी थी । आराजी पर केवल उसका कब्जा था । भवानीलाल ने उक्त वादग्रस्त आराजी पूरी लाल धाकड को बेचान का इकरार किया था तथा बेचान का सम्पूर्ण प्रतिफल क्रेता से 140000/– रूपये प्राप्त कर लिये थे । वादग्रस्त आराजी क्रेता का संभला दी । संयुक्त खातेदारी की आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण आराजी अन्य खातेदारों के साथ साथ हीरालाल की संयुक्त खातेदारी में रही है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2019 अपास्त की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

(जितेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवाई का अवसर नहीं दिया । जवाब दावा पेश नहीं हुआ तथा तनकीयात भी नहीं बनायी गई । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.07.2019 में अभिभाषक उपस्थित होना बताया गया है व इसी दिन निर्णय सुनाने का अंकन है तथा तहसीलदार सुनेल को प्राथमिक डिक्री की पालना हेतु लिखा जाना भी अंकित किया है । इससे पूर्व आदेशिका में दिनांक 12.06.2018 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प में पेश होना व राजीनामा नहीं होने से पत्रावली दिनांक 09.08.2018 को पेश किये जाने का अंकन है । दिनांक 04.10.2018 को पत्रावली प्रतिवादी के जवाबदावे में रखी गई । फिर दिनांक 25.07.2019 को वकील उभयपक्ष उपस्थित होना व वास्ते जारी करने प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.07.2019 को लिखा गया है । यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ओर तो पत्रावली राजीनामा पेश करने बाबत रखी गई तथा बाद में प्रतिवादी के जवाबदावे हेतु रख दी गई । चूंकि प्रकरण लोक अदालत में जैरकार था । लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर सी पी सी की पालना करते हुए विधि सम्मत एवं गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय व डिक्री पारित की गई है । वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2019 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेकर सी पी सी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.04.2021 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा